B-34
L-31
Polity.

एकदा स्पीकर सदा स्पीकर

- इस परम्परा का मूल कारण यह है कि संसद कार्यपालिका पर अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। अतः स्पीकर का पद तटस्थ और निष्पक्ष होना चाहिए। जिससे स्पीकर सरकार के द्वारा संपादित कार्यों के लिए सदन की कार्यवाही को आसान बना सके तथा विपक्षी दल को सरकार की आलोचना का पर्याप्त अवसर भी मिले।
- भारत में एक बार के स्पीकर सदा स्पीकर की भूमिका को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि भारत में लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं।
- अभी भारत का लोकतंत्र नवजात है इसलिए स्पीकर को लम्बा कार्यकाल देना पद के दुरूपयोग का एक कारण हो सकता है।

भारत में स्पीकर की तटस्थता एवं निष्पक्षता:-

- ब्रिटेन की परम्परा न अपनाने के बावजूद भारत में स्पीकर की तटस्थ भूमिका को स्वीकार किया गया है-

(i) स्पीकर केवल निर्णायक मत देगा।

(ii) दल बदल अधिनियम के अन्तर्गत स्पीकर

के लिए यह प्रावधान लागू नही होगा।

(iii) स्पीकर अपने राजनीतिक दल के किसी भी गतिविधि में भाग नही लेता।

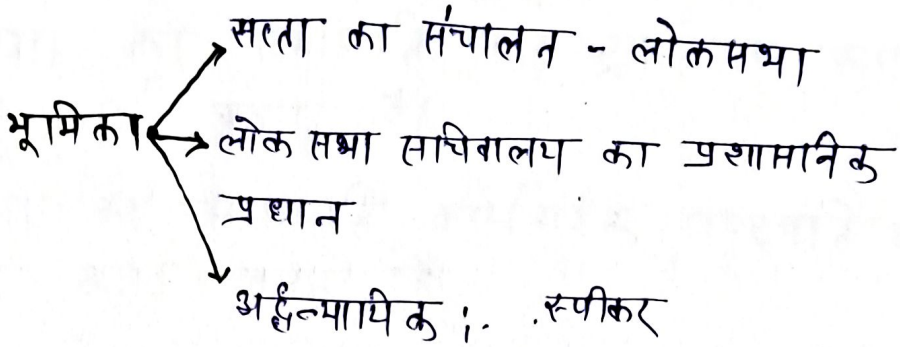

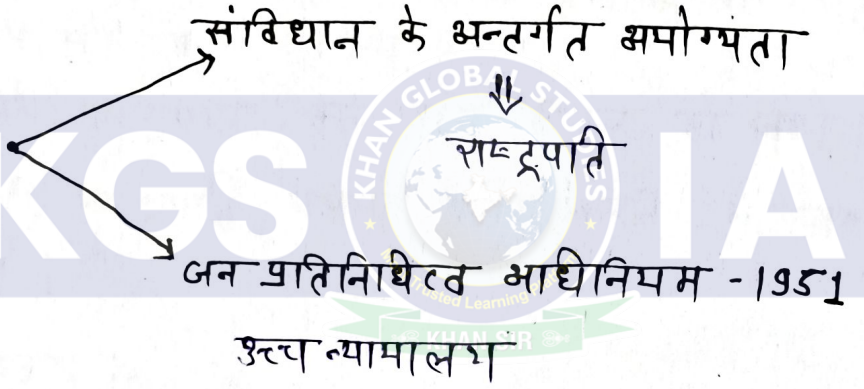

राज्य सभा के सभापति की भूमिका :-

- जिस प्रकार स्पीकर लोकसभा का संचालन करता है तथा राज्य सभा का सभापति भी राज्यसभा सचिवालय का प्रधान होता है तथा राज्यसभा के सदस्यों के दल-बदल के निर्धारण में भी सभापति की भूमिका होती है। राज्यसभा के सभापति की निम्नलिखित शक्तियां लोकसभा स्पीकर से कम है।

(i) वह धन विधेयक को प्रमाणित नही कर सकता

(ii) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा।

• राज्यसभा सभापति की निम्नलिखित भूमिका उसे लोकसभा स्पीकर से पृथक बनाती है

(i) राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है।

(ii) राज्यसभा का सभापति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है

(iii) संविधान के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्यसभा का सभापति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा—

(A) यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाये।

(B) यदि राष्ट्रपति अपना कार्य करने में समर्थ न हो।

निष्कर्ष :-

उपराष्ट्रपति (राज्यसभा का सभापति) का पद भारत में अमेरिकी संविधान से लिया गया है इसलिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है जैसा कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति सीनेट के प्रधान या अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

सांसद की बर्खास्तगी/ निलंम्बन :-

- लोकसभा नियमों के अनुसार यदि कोई सांसद सदन के संचालन में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उस सांसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए एक दिन, कुछ दिन अथवा समूचे सत्र के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

- सांसद या विधायक की निलम्बन के बाद सदस्यता बनी रहती है अतः निलंबित होने के बावजूद उसे वेतन भत्ते प्राप्त होते है लेकिन सदन की कार्यवाही में भागीदारी की अनुमति नही होती।

- जबकि बर्खास्तगी का अभिप्राय है कि सांसद अथवा विधायक की सदस्य ही समाप्त हो जायेगी। अतः न तो उसे वेतन भत्ते प्राप्त होंगे और न ही कोई संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होगा।

- सांसदों की बर्खास्तगी का यह प्रावधान न तो संविधान में उल्लेखित है और न ही लोकसभा नियमों में इसका उल्लेख किया गया है इसलिए इस पर विवाद है।

- हाल ही में स्पीकर के द्वारा महुआ मोइत्रा को लोकसभा से स्पीकर ने बर्खास्त किया था।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

इस बर्खास्तगी के पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं-

(i) किसी भी सदस्य के भविष्य का अन्तिम निर्धारण स्पीकर करेगा

(ii) यदि सांसद भ्रष्टाचार अथवा अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त है तो उसकी सदस्यता छीनी जा सकती है।

बर्खास्तगी के विरोध में निम्नलीखित तर्क हैं-

(i) यदि सांसद जनता के द्वारा निर्वाचित है तो स्पीकर उसकी सदस्यता नहीं छीन सकता।

(ii) स्पीकर के द्वारा अपनी शक्तियों के दुरूपयोग से अल्प मत को हतोत्साहित किया जा सकता है।

- उच्चतम न्यायालय ने राजाराम पाल वाद में यह कहा कि सांसदों की बर्खास्तगी का अधिकार स्पीकर के हाथों में है। लेकिन महुआ मोइत्रा का मुद्दा अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है।

दल बदल :

- (i) 52वाँ संविधान संशोधन
- (ii) 91 वाँ संविधान संशोधन

- (i) सांसद
- (ii) विधायक

अपवाद

- (i) स्पीकर उपाध्यक्ष
- (ii) सभापति उपसभापति
- (iii) किसी राजनीतिक दल के 2/3 सांसद / विधायक दल छोड़कर नया दल बना ले अथवा दूसरे दल में विलय करें।

अभिप्राय

- (i) राजनीतिक दल के MP/MLA ने पार्टी से त्यागपत्र
- (ii) MP/MLA - पार्टी निर्देश की सदन में अवहेलना
- (iii) निर्दलीय सांसद, विधायक किसी दल में शामिल हो गया।
- (iv) राजनीतिक दल ने किसी MP/MLA को निष्कासित कर दिया।
- (iv) मनोनीत सांसद / विधायक 6 महीने के बाद राजनीतिक दल का सदस्य बन गया।

निर्धारण

- (i) स्पीकर
- (ii) सभापति

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform